

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-पंकज शर्मा  
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :- 141/2022 (विद्याधर बनाम रणवीरसिंह वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.07.2023 को प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2024/518 दिनांक 02.05.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.10.2024 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम बाडेट की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 309 रकबा 1.65 है0 भूमि का निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है :-

क्र. सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म	लगान
1	विद्याधर पुत्र मोतीराम जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन BRKGB शाखा जाबासर	309मी	1.55	गै0मु0रास्ता 0.03	-
				चा.2 1.00 बा.2 0.52	
		किता-1	1.55	-	11.04
2	रणवीरसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट सा. देह खातेदार	309मी	0.10	बा.2	0.20

वसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.10.2024 को जारी की गई।



47  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर